International Journal of Advanced Research in Engineering Technology & Science ISSN: 2394-2819

Email: editor@ijarets.org Volume-2, Issue-12 December- 2015 www.ijarets.org

ग्रामीण विकास के योगदान में वित्तीय समावेशन की भूमिका

Sita Ram
Department of Economics
GSSS Nehrana
Haryana

सार:

स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक की अवधि में देश में औद्योगिक विकास की दर में तीव्र वृद्धि देखने में आई है। औद्योगिक संसाधनों के चतुर्मुखी विकास के दृष्टिकोण से औद्योगिक संसाधनों में सभी प्रकार के उद्योगों को सम्मिलित किया गया है। भारत सरकार ने मध्यम एवं वृहद् इकाईयों की स्थानपा की कल्पना करने के साथ–साथ नयी औद्योगिक नीति लागू करते समय लघु एवं अत्यन्त लघु उद्योग क्षेत्र की इकाईयों तथा गामीण एवं कुटीर उद्योग के अन्तर्गत आने वाली इकाईयों पर भी ध्यान केन्द्रित किया है। इस कारण उस समय से लेकर अब तक की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं, वार्षिक योजनाओं एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत कुछ विशेष क्षेत्रों की प्रगति के लिए उत्पादों का आरक्षण किया गया और उस वर्ग की इकाईयों को ज्यादा मात्रा में वित्तीय सहायता प्रदान की गयी जो कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोजगार प्रदान कर सकती है तथा सकल उत्पादन में अपना अच्छा योगदान दे सकती है।

प्रस्तावना

भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले 200 वर्षों से पिछड़ेपन एवं गतिरोधों का बोलबाला रहा और इसी कारण गरीबी का एक ऐसा कुचक्र बन गया, जिसे तोड़ना किसी सरकार के लिये कठिन कार्य था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भी हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति उपभोग विश्व के अधिकांश देशों से कम था। बचत और पूंजी निर्माण की प्रक्रिया की ओर ध्यान नहीं दिया गया, श्रम की उत्पादकता में निरन्तर ह्रास होता रहा और इन सबका परिणाम यह रहा कि हमारा जीवन स्तर गिरता गया और गरीबी बढ़ती गई। इस देश की उत्पादन संरचना अंग्रेजी शासन के हितों की पूर्ति करती थी। इसलिए अंग्रेजी शासन काल में देश के आर्थिक विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले से रूकी हुई अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए अनेक प्रयास किये गये तथा आर्थिक नीति का निर्माण हुआ। आर्थिक नीतियों की संरचना करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिले तथा देश स्वावलम्बन की ओर अग्रसर हो जिसके लिए आर्थिक नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नवत निर्धारित किये गये हैं:–

- आर्थिक विकास की दर में वृद्धि करना;
- नियोजित विकास की प्रक्रिया को बल देना;
- देश के आर्थिक संकेन्द्रण को कम करना;
- आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं पिछड़े वर्गों के विकास पर बल देना;
- देश के औद्योगिक विकास को गति प्रदान करना;
- व्यापार नीति को ध्यान में रखते हुए निर्यात में वृद्धि करना; तथा
- देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अधिक बल देते हुए इसे शक्तिशाली बनाने का प्रयास करना।

आर्थिक नीतियों में भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली बनाने का उद्देश्य निश्चित किया गया है। भारत गांवों का देश है तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कृषि रहा है। अंग्रेजी शासन के गवर्नर जनरल लाइमेयो ने भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व का वर्णन करते हुए कहा था कि भविष्य की अनेक पीढ़ियों तक धन एवं सभ्यता के विकास की दृष्टि से भारत की प्रगति प्रत्यक्ष रूप से उसकी कृषि की प्रगति पर निर्भर करेगी। संसार में सम्भवतः कोई भी देश ऐसा नहीं है, जिसका कृषि में इतना घनिष्ठ एवं प्रत्यक्ष स्वार्थ निहित हो।

भारतीय अर्थव्यवस्था मं ग्राम्य औद्योगिक विकास की स्थिति

भारत में भी इस बात को व्यापक रूप में स्वीकृति मिली हुई है कि देश के आर्थिक विकास की कुंजी कृषि विकास में निहित है। एक बार पूर्व प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने स्वीकार भी किया है कि कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता देने को आवश्यकता है, क्योंकि यदि कृषि असफल रही तो सरकार और राष्ट्र दोनों असफल होंगे। डॉ॰ वी॰के॰आर॰वी॰ राव ने भी लिखा है कि यदि पंचवर्षीय योजनाओं में विकास के पहाड़ को लांघना है तो कृषि के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना ही होगा। यह सत्य है कि भारत गांवों का देश है और इस देश की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। अतः इस देश का विकास, ग्रामीण विकास में ही निहित है और किसी भी दृष्टिकोण से और किसी भी आधार पर ग्रामीण विकास की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, वैसे तो ग्रामीण विकास और कृषि विकास को एक–दूसरे का पर्याय माना जाता है और इसमें सत्यता भी निहित है, क्योंकि कुल कार्य शक्ति का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा किसी न किसी रूप में कृषि कार्यों में सलंग्न है और लगभग 78 प्रतिशत जनसंख्या के जीवन यापन का आधार कृषि ही है। उपरोक्त तथ्यो के होते हुए भी, कृषि अर्थव्यवस्था का केवल एक स्तम्भ है और एक स्तम्भ के विकास पर ही एक अर्थव्यवस्था को निर्भर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय कृषि की भी अपनी समस्याएँ हैं।

अर्थव्यवस्था का दूसरा आधार स्तम्भ है "उद्योग" क्योंकि औद्योगिक विकास से भारो मात्रा में रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं, अतः देश का औद्योगिक विकास आवश्यक हो जाता है। वैसे तो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भारी, मध्यम, लघु एवं कुटीर सभी प्रकार के उद्योों का उत्थान आवश्यक हो जाता है, लेकिन इनमें भी लघु एवं कुटीर उद्योगों को रोजगार का विशाल सृजनकर्त्ता होने के कारण महत्वपूर्ण माना जाता है।

भारत सरकार द्वारा निर्गत आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कुटीर व लघु उपक्रमों द्वारा 31.2 मिलियन कर्मियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। भारत वर्ष में 31 मार्च 2016 तक अनुमानतः 128.44 लाख कुटीर व लघु उपक्रम कार्यरत हैं जो भारत के औद्योगिक उत्पादन का 39 प्रतिशत उत्पादित कर रहे हैं।

तालिका 1.1 : भारत के कुटीर व लघु उपक्रमों की भूमिका

वर्ष	उपक्रमों की संख्या (लाखों में)			उत्पादन ;करोड़ (रुपये में)	रोजगार (लाखों में)
	पंजीकृत	अपंजीकृत	कुल		
2011–12	16.03	93.46	109.49 (4.1)	306,771 (8.7)	263.68 (4.5)
2012–13	17.12	96.83	113.95 (4.1)	336344 (9.6)	276.30 (4.5)
2013–14	18.24	100.35	118.59 (4.1)	372938 (10.9)	287.55 (4.5)
2014–15	19.30	104.12	123.42 (4.1)	418884 (12.3)	296.85 (4.3)
2015–16	20.32	108.12	12844 (4.1)	471663 (12.6)	312.52 (4.2)

नोट–कोष्टक में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि दर को प्रदर्शित किया गया है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2015–16 में भारत में कुटीर व लघु उपक्रमों की विकास दर 4.1 प्रतिशत रही है जबकि उत्पादन में वृद्धि दर तीव्र रही है जो 2011–12 में 8.7 प्रतिशत से बढ़कर 2015–16 में 12.6 प्रतिशत पर पहुँच गयी है। जहाँ वर्ष 2011–12 में 26.37 मिलियन कर्मी उस क्षेत्र में नियोजित थे वहाँ 2015–16 में 31.25 मिलियन कर्मी इस क्षेत्र में नियोजित हो गये यद्यपि इस अवधि में नियोजित विकास दर 4.5 प्रतिशत की वृद्धि दर से घटकर 4.2 प्रतिशत ही रह गयी।

वित्तीय समावेशन

प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य यह था कि, देशभर के ग्रामीण इलाकों में सामाजिक और आर्थिक उन्नति करना। भारत सरकार ने ग्रामीण इलाकों का सामाजिक और आर्थिक रुप से विकास करने के लिए सन् 1952 में समावेशी विकास कार्यक्रम का गठन किया और इस कार्यक्रम के अधीन विभिन्न प्रकल्प और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए रु. 90 करोड़ की राशि प्रदान की गई। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए निम्नगत तीन समूहों का गठन किया गया, जो–

- प्रत्येक समूह में 100 गांव अथवा 10,000 से 70,000 की आबादी के क्षेत्र में ग्रामीण लोगों के विकास के लिए कार्य करना।

- क्रेडिट सोसायटिज् एवं वित्तीय संगठनों जैसे– मध्यप्रदेश में सेवाग्राम, मद्रास में फिरका विकास योजना, मुंबई में सर्वोदय के केंद्र स्थापित किए गए।
- कृषि तंत्र को विकसित करने के लिए राज्य सरकारों के स्तर पर ग्रामीण विकास कार्य की योजना बनाई गई।

ग्रामीण विकास के उद्देश्य को सफल बनाने के लिए कृषि तंत्र को आधुनिक बनाना एवं कृषि उत्पादकता और विपणन प्रणाली को बढावा देना अत्यंत जरुरी है, जो ग्रामीण विकास की आधारशीला है।

ग्रामीण विकास : सामाजिक और आर्थिक संरचना

सन् 1980–85 में पंचम पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास की सामाजिक–आर्थिक संरचना को मजबूत बनाने के लिए सफल प्रयास किए गए। छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्षेत्र के एकीकृत विकास एवं कृषि क्षेत्र में उन्नति करने के लिए देश के 74 जिलों में 557 ब्लाक के अधीन कार्य किया गया, जिसमें निम्नगत विषय शामिल थेः–

- जल संसाधन का विकास और प्रबंधन।
- भूमि और आर्द्रता संरक्षण परिमाण।
- भूमि और वन–विज्ञान पर बल।
- गोचर भूमि और खेती–बारी का विकास, भेड़–बकरी संवर्धन तथा डेअरी के विकास का प्रबधन।
- सस्य विज्ञान का व्यवसाय और फसल पैटर्न के कारोबार में विकास।

भारत सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए "भारत सरकार (कार्यों का आबंटन) नियमावली, 1961" के अंतर्गत (क) ग्रामीण विकास विभाग (ख) भूमि संसाधन विभाग और (ग) पेयजल आपूर्ति विभाग आदि के द्वारा कार्य किया जाने लगा है। भारत सरकार ने प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास और कृषि के लिए विशेष प्रावधान किये जा रहे हैं। इस अभियान में न केवल केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार तथा ग्रामीण और कृषि अध्ययन केंद्रो की बढती सहभागिता से हम उन्नति की बढ रहें ह। ग्रामीण विकास के लिए भारत सरकार ने 2 फरवरी, 2006 से "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005" को लागू किया, जिसे 2009–10 के दौरान अनुसंधान करके "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" का नाम दिया गया। केंद्र सरकार ने 2010–11 के लिए इस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित बजट 40100 करोड़ किया है। स्वर्ण जयन्ति ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को आरंभ की गई और 2015–16 के लिए प्रस्तावित बजट 5423 करोड़ रखा गया है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा

योजना आयोग, भारत सरकार ने उक्त योजना की मध्यावधि समीक्षा जाहिर की है, जिसके कुछ बिंदु इस प्रकार हैः–

- भारत सरकार ने वर्ष 2009–10 के लिए ग्रामीण विकास के लिए कुल बजट का 31 प्रतिशत जो कि रु. 74,270 आवंटित किया था।
- वर्ष 2009–10 में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लगभग 5 करोड़ परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया।
- राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) और राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी) के साथ ग्रामीण प्रौद्योगिकी के द्वारा कार्य करना।
- ग्रामीण विकास में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना।
- सामाजिक उत्थान क लिए जनजातीय क्षेत्रों में विशेष समस्याएं।
- यूनीक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) का प्रयोग।

ग्रामीण विकास के इन आयामों के अतिरिक्त भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक ग्रामीण इलाकों में बैंकिंगधवित्तीय सेवा प्रदान करने के लिए "वित्तीय समावेशन" के अंतर्गत प्रयास कर रहा है।

ग्रामीण विकास और वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन शब्दावली का प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक ने वार्षिक नीति, 2014–15 के वक्तव्य में पहली बार किया। भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री.वी.लीलाधर जी ने के अनुसार, "वित्तीय समावेशन समाज के वंचित और कम आय वाले समूहों को ऐसी लागत पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जो उन पर भार न बन सकें।"

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्रीमान डी. सुब्बाराव जी ने "आर्थिक अवसर और वित्तीय पहुंच" का सरोकार स्थापित किया है और वित्तीय पहुंच को खासकर गरिबों के लिए शक्तिशाली मानते हुए उन्हें बचत इकट्ठी करने, निवेश करने और ऋण लेने का एक वित्तीय अवसर के रुप में परिभाषित किया है। ग्रामीण इलाकों में स्वयं सहायता समूह, राज्य सरकार के वित्तीय संगठन एवं व्यवसाय प्रतिनिधि और सुविधादाता (बीसी–बीएफ–मॉडेल) के माध्यम से वित्तीय समावेशन को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा सकता है। सरकारी क्षेत्र के बैंक वित्तीय समावेशन के लिए "नो फ्रिल्स खाते" खोल रहें हैं।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स ने वित्तीय समावेशन के लिए "ओरियन्टल ग्रामीण जमा योजना" प्रारंभ की है। अखिल भारतीय स्तर पर वित्तीय समावेशन को लागू करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास किये जा रहें हैं।

वित्तीय समावेशन और ग्रामीण विकास के लिए निर्धारित लक्ष्यः– वित्तीय समावेशन के लिए केन्द्रीय बजट के लिए निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार हैः–

वित्तीय समावशन

- 2000 से अधिक आबादी वाली बस्तियों में समुचित बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना।
- बीसी–बीएफ–मॉडेल का प्रयोग करते हुए बीमा और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराना इस व्यवस्था को 60,000 बस्तियों में शामिल किया जाना।
- वित्तीय समावेशन निधि और वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि में से 100 करोड़ की बढ़ोतरी में भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड ग्रामीण विकास
- ग्रामीण विकास के लिए 66,100 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का आवंटन बढ़ाकर 40,100 करोड़ रुपये करना।
- भारत निर्माण तहत ग्रामीण अवसंरचना कार्यक्रम के लिए 48,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित
- इंदिरा गांधी योजना के अंतर्गत यूनिट लागत के लिए किया गया आवंटन बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये करना।
- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि को किए जाने वाले आवंटन में 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी करके अनुदान निधि 7,300 रुपये करना।
- बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखे से निपटने के लिए 1,200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मुहैया कराना।

वित्तीय समावेशन ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य है, वित्तीय समावेशन। ग्रामीण जनता एव छोटे किसानों को बैंको के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होने पर वे साहुकारों के चंगुल से छुटकारा प्राप्त कर सकेंगे। ग्रामीण इलाकों में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को सक्षम बनाने में सहायता प्राप्त हुई है। वित्तीय समावेशन न केवल वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बल्कि सामाजिक भूमिका में भी अपना योगदान दिया है।

वित्तीय समावेशन की आवश्यकता

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्तुत "भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय समावेशन की निम्नगत रुप से आवश्यकता स्पष्ट की है, जोः–

- वित्तीय विस्तार और वित्तीय सघनता के स्तर को कम करने के लिए एवं जीडीपी की तुलना में निजी कर्ज के अनुपात के अनुसार तुलना करने पर भारत में बैंकिंग क्षेत्र का आकार एवं विस्तार बढाने के लिए वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना आवश्यक है।

- "नो फ्रिल्स खाते" खोलने और लेन–देन–प्रणाली को बनाये रखने के लिए तथा खाताधारक को कम राशि की ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ प्रदान करने के लिए वित्तीय समावेशन आवश्यक है।

- भारतीय रिजर्व बैंक ने सन् 1992 को प्रायोगिक स्तर पर शुरु किया गया "स्वयं सहायता बैंक संपर्क कायक्रम(एसबीएलपी)", जो स्वयं सहायता समूहों को बैंकिंग से जोड़ता है। इस कार्यक्रम ने काफी वृद्धि दर्शायी है। इस स्थिति को बनाए रखने के लिए वित्तीय समावेशन आवश्यक है।

भारत सरकार और नाबार्ड का योगदान

नाबार्ड ने वित्तीय समावेशन निधि और वित्तीय समावेशन प्रोद्योगिकी निधि इन दो निधियों का गठन रंगराजन समिति की शिफारिश के अनुसार किया। भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा पांच वर्ष की अवधि में क्रमशः 40:40:20 के अनुपात में अंशदान किया जाएगा। वास्तव में ग्रामीण इलाकों में वित्तीय समावेशन सफल रुप से कार्यान्वित किया जा सकेगा। जिसके लिए हमें निम्नगत कार्य करने होंगेः–

ग्रामीण लोगों को रोजाना बचत की आदत लगाने के लिए प्रोत्साहित करना एवं उन्हें वित्तीय सुविधाओं से अवगत कराने और इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए वित्तीय रुप से उन्हें साक्षर करना। बैक द्वारा बचत खाते खोलना एवं आवश्यकता पड़ने पर ऋण सुविधाएं मुहैया कराना। इस कार्य में स्वयं सहायता समूह या व्यवसाय प्रतिनिधि या सुविधादाता (बीसी–बीएफ) से सेवा ली जा सकती है।

ग्रामीण इलाकों में स्थित डाक घर की आम आदमी बीमा योजना एवं वरिष्ठ नागरिक जमा योजना के बारे में वित्तीय सुविधा विहिन लोगों को जानकारी देना और उन्हें इन सुविधाओं से जोड़ना तथा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही रोजगार गारंटी योजनाओं से प्राप्त रोजगार इन लोगों के खाते में जमा किया जा सके, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे नगद निकासी कर सकेंगे अन्य राशि बचत की जाएगी। जिसमें वे अपना पारिवारिक आर्थिक नियोजन कर सकते हैं।

वित्तीय साक्षरता के अभियान को सक्रिय करना होगा। इस अभियान में न केवल भारतीय रिजर्व बैंक या नाबार्ड का ही योगदान हो, बल्कि राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। प्रचार माध्यमों एवं क्षेत्रीय समाचार पत्रों को वित्तीय साक्षरता अभियान में पहल करनी होगी। महाराष्ट्र में किसानों के लिए मुंबई दूरदर्शन के द्वारा "आमची माती, आमची माणसं" और पुणे दूरदर्शन द्वारा "कृषि दर्शन" आदि कार्यक्रमों के प्रसारण काफी लोकप्रिय हो चुके थे। अतः वित्तीय साक्षरता के लिए भी ऐसे कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे, तो काफी लाभ होगा।

महाराष्ट्र में किसानों के लिए "फसल बीमा योजना" के कार्यान्वयन से किसानों को काफी राहत मिल गई हैं, उन्हें विभिन्न फसल उत्पाद के लिए राज्य सरकार द्वारा जोखिम ली जा रही हैं। अब वे किसान अत्यंत आत्मनिर्भर होकर खेती कर रहें हैं। खेती पर आधारित आजीविका चलाने वाले खेत मजदूरों के लिए, वित्तीय सुविधाविहिन लोगों के लिए ऐसे प्रयोग किए जा सकते हैं, ताकि वे वित्तीय सुविधा के दायरे में शामिल हो सकगे।

सरकारी क्षेत्र के बैंको, ग्रामीण बैंको एवं सहकारी बैंको के द्वारा किसानों को जारी की गई "किसान कार्ड योजना (केसीसी)'' के अंतर्गत खेती एवं कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें समय पर पयाप्त राशि उपलब्ध हो सके। ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स ने किसानों को दिए जानेवाले ऋण को बढ़ाने के लिए ओरियन्टल ग्रीन कार्ड (ओजीसी) एवं ओरियन्टल किसान गोल्ड कार्ड (ओकेजीसी) योजना की शुरुवात की है, जिससे किसानों को कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यक ऋण सुविधाएं प्राप्त हो सके।

ग्रामीण मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने एवं उन्हें कुशल व्यवसायिक बनाकर उनके कारोबार को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने स्वर्ण जयंति ग्राम स्वरोजगार योजना के माध्यमे से इस दुष्कर कार्य को पूरा करने के लिए कृषक मजदूरों में आशा पल्लवित की है। इस कार्य में सरकारी क्षेत्र के बैंक भी अपना योगदान दे रहें हैं। ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स ने ग्रामीण क्षेत्र के सभी मजदूर एवं कारीगरों के लिए ओरियन्टल ग्रामीण स्वरोजगार कार्ड (ओजीएससी) के माध्यम से समस्या रहित ऋण प्रदान किया जा रहा है।

ग्रामीण विकास और वित्तोय समावेशन के समक्ष चुनौतियाँ

ग्रामीण विकास के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय समावेशन को कार्यान्वित करना वास्तव में उतना आसान नहीं है, जहाँ हम वित्तीय जागरुकता एवं वित्तीय साक्षरता का प्रचार ग्रामीण एवं वित्तीय सुविधा विहिन लोगों वित्तीय सहायता प्रदान करने में

कुछ समस्याएं भी है। वित्तीय समावेशन के माध्यम से ग्रामीण विकास के लिए हमें जिन चुनौतियों का सामना करना होगा, उसमें कुछ बिंदु इस प्रकार हैः–

- वित्तीय सुविधा विहिन लोगों से बचत खाते, नो फ्रिल्स खाते खुलवाने एवं उनके लेन–देन के निरीक्षण के कार्य करनेवाले व्यवसाय प्रतिनिधि अथवा सुविधादाता का पारिश्रमिक उस स्तर का हो, जिससे वे अपनी आजीविका योग्य रुप से चला सके।
- वित्तीय समावेशन के अंतर्गत वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यवसाय प्रतिनिधियों और सुविधादाताओं (बीसी–बीएफ) को योग्य प्रशिक्षण दिया जाना होगा। भारतीय बैंकिंग और वित्तीय संगठन (आईआईबीएफ) एवं नाबार्ड के माध्यम से बीसी–बीएफ को प्रशिक्षण देने का प्रबंध किया गया है, लेकिन ग्रामीण या वित्तीय सुविधा विहिन लोगों की वित्तीय जरुरत को ध्यान में रखकर क्रमशः जिला एवं राज्य स्तर पर प्रशिक्षण प्रणाली कार्यान्वित की जानी चाहिए। योग्य प्रशिक्षण के अभाव में बीसी–बीएफ–मॉडेल के अंतर्गत काफी शिकायतें प्राप्त हो रही है।

सारांश

वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड निरंतर अनुसंधान कर रहें हैं। इस कार्य में सरकारी क्षेत्र के बैक एवं जिला स्तरीय सहकारी बैंक भी अपना योगदान दे रहें हैं। ग्रामीण और वित्तीय सुविधा विहिन इलाकों में वित्तीय साक्षरता और हमारी सक्रिय कार्यप्रणाली के माध्यम से वित्तीय समृद्धि के लिए सफलता प्राप्त की जाएगी। वित्तीय समावेशन एवं ग्रामीण विकास के पहलुओं पर अध्ययन करने से ज्ञात हो रहा है कि आगामी दिनों में वित्तीय समावेशन की कार्यप्रणाली अधिक गतिमान एवं समस्या रहित होगी, जिससे ग्रामीण इलाकों में विकास और योजनाएं सक्रिय रुप से कार्यान्वित होगी और डॉ. अब्दुल कलाम का नवनिर्माण का सपना वास्तव में बदल जाएगा। सभी भारतीयों को भरपूर मात्रा में अनाज की आपूर्ति होगी, मजदूरों को रोजगार मिलेगा और वित्तीय समावेशन के माध्यम से बैंकों के राष्ट्रीयीकरण का उद्देश्य पूरा हो सकेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1– हसबैण्ड एण्ड डाकरे – इन्ट्रोडक्शन टु बिजनेस फाइनेन्स, 1987
2– हाबार्ड एण्ड उपटोन – मॉर्डन कॉरपोरेशन फाइनेन्स, 1987
3– डेनिस, राबर्टसन – कन्ट्रोल ऑन इण्डस्ट्री
4– मरे डी॰, ब्राइस – इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट
5– फ्लोटेन्स, पी0 एम0 – इकोनोमिक्स एण्ड सोशियोलॉजी ऑफ इण्डस्ट्री
6– मिल्टन, फ्रेण्डमैन – कैपिटेलिज्म एण्ड फ्रीडम
7– कनका, एस0एस0 – इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट इन कुमायूं, 1988
8– गुप्ता, के0 एल0 – भारतीय अर्थव्यवस्था, 1991
9– सक्सेना, के0 एस0 – औद्योगिक अर्थशास्त्र, 1989
10– दत्त, आर0 सी0 – इकोनोमिक हिस्ट्री ऑफ इण्डिया